Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 17-2025/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, JANUARY 23, 2025 (MAGHA 3, 1946 SAKA)

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 23 जनवरी, 2025

संख्या 16/10/2024–3एच0सी0.— भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 46) की धारा 48 की उप–धारा (3), धारा 173 की उप–धारा (1), धारा 174 की उप–धारा (1), धारा 176 की उप–धारा (2), धारा 193 की उप–धारा (3) तथा धारा 497 की उप–धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ।	**1.** (1) ये नियम हरियाणा सूचना का रूप तथा रीति नियम, 2025 कहे जा सकते हैं। (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगें।
परिभाषाएं।	**2.** (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:– (क) **"प्ररूप"** से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप; (ख) **"सामान्य डायरी"** से अभिप्राय है, पंजाब पुलिस नियम, 1934 हरियाणा राज्यार्थ के नियम 22.48 के अधीन भौतिक रूप में या इलैक्ट्रॉनिक रूप में अनुरक्षित डायरी; (ग) **"एनसीआरबी"** से अभिप्राय है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार; (घ) **"संहिता"** से अभिप्राय है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 46)। (2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित किन्तु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और पंजाब पुलिस नियम, 1934 हरियाणा राज्यार्थ या राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो में परिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो उन्हे क्रमशः संहिता या पंजाब पुलिस नियम, 1934, हरियाणा राज्यार्थ या राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो में उन्हे दिया गया है।
गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की सूचना देने के संबंध में गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी के कर्तव्य। धारा 48 (3)	**3.** किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के पश्चात, सम्बन्धित पुलिस अधिकारी द्वारा पुलिस थाने में अनुरक्षित किसी पुस्तक या सामान्य डायरी में तुरन्त इस तथ्य की प्रविष्टि की जाएगी की गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना किसे दी गई है तथा इस प्रकार की गई प्रविष्टि में निम्नलिखित जानकारी होगी, अर्थात् : – (क) एफ0आई0आर0 संख्या, पंजीकरण की तिथि तथा पुलिस थाने का नाम, जिसमें एफ0आई0आर0 दर्ज की गई है; (ख) गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी या अन्य व्यक्ति का नाम तथा पदनाम;

	(ग) गिरफ्तारी का स्थान, तिथि तथा समय; (घ) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम, पितृत्व (माता–पिता) तथा पता (वर्तमान और स्थायी पता); (ङ) उस व्यक्ति का नाम, पितृत्व तथा पता जिसे गिरफ्तारी की सूचना दी गई थी; (च) उस व्यक्ति का संपर्क नंबर, ई–मेल या कोई अन्य पहचान विवरण इत्यादि, जिसे गिरफ्तारी की सूचना दी गई थी; (छ) गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा बताए गए या नामित और उसके साथ सम्बन्ध जैसे कि रिश्तेदार, मित्र या कोई अन्य व्यक्ति; तथा (ज) ढंग, जिसके माध्यम से गिरफ्तारी की सूचना उपर्युक्त रिश्तेदार, मित्र या किसी अन्य व्यक्ति को दी गई थी।
संज्ञेय मामलों में सूचना। धारा 173(1)	**4.** संहिता की धारा 173 की उप–धारा (1) के अधीन किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने से सम्बन्धित प्राप्त प्रत्येक सूचना का सार, पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा समय–समय पर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा विहित प्ररूप में सामान्य डायरी में तथा पंजाब पुलिस नियम, 1934, हरियाणा राज्यार्थ के नियम 24 के उप–नियम (5) के अधीन एफ0आई0आर0 रजिस्टर में, जिसमें सूचना की प्राप्ति की रीति दर्शाते हुए कि मौखिक रूप से प्राप्त हुई है या इलैक्ट्रॉनिक संचार द्वारा, लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।
असंज्ञेय मामलों में सूचना। धारा 174(1)	**5.** संहिता की धारा 174 की उप–धारा (1) के अधीन असंज्ञेय अपराध के होने से संबंधित पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रत्येक सूचना का सार, ऐसे अधिकारी द्वारा पुलिस थाना में अनुरक्षित सामान्य डायरी में एन0सी0आर0बी0 द्वारा विहित प्ररूप में दर्ज किया जाएगा या दर्ज करवाया जाएगा।
अन्वेषण शुरू करने के लिए पर्याप्त आधार न होने पर सूचना देने वाले को इत्तला करने की रीति। धारा 176(1)	**6.** यदि किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि संहिता की धारा 176 की उप–धारा (1) के प्रथम परन्तुक के खण्ड (ख) के अधीन अन्वेषण शुरू करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं, तो वह लिखित रूप में या तो भौतिक रूप से या इलैक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से संहिता की धारा 176 की उप–धारा (2) के अधीन सूचना देने वाले को तत्काल इत्तला करेगा।
अन्वेषण पूरा होने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट। धारा 193 (3)	**7.** संहिता की धारा 193 की उप–धारा (3) के खंड (i) या उप–धारा (9) के अधीन पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम सहित, पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को, एन0सी0आर0बी0 द्वारा विहित प्ररूप/रिपोर्ट में संहिता की धारा 193 की उप–धारा (3) के खंड (i) में उल्लिखित विवरणों को उसमें दर्शाते हुए पुलिस रिपोर्ट भेजी जाएगी।
मुखबिर को, की गई कार्रवाई के संचार की रीति। धारा 193 (3)	**8.** पुलिस थाना का प्रभारी अधिकारी, संहिता की धारा 193 की उप–धारा (3) के खंड (iii) के अधीन उस द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम सहित, लिखित में, व्यक्ति , यदि कोई हो, जिसके द्वारा अपराध किए जाने की सूचना सबसे पहले दी गई थी, को सूचित करेगा। इस प्रयोजन हेतु संहिता की धारा 193 की उप–धारा (3) तथा (9) के अधीन भेजी गई पुलिस रिपोर्ट (रिपोर्टों)की एक प्रति ऐसे व्यक्ति को उपलब्ध करवानी काफी होगी।
संपत्ति का विवरण तैयार करना। धारा 497(2)	**9.** संहिता की धारा 497 की उप–धारा (1) एवं (2) में विनिर्दिष्ट अनुसार संपत्ति के विवरण को इन नियमों से संलग्न प्ररूप में तैयार किया जाएगा।

प्ररूप

(देखिए नियम 9)

....के न्यायालय में

संपत्ति का विवरण

एफआईआर संख्या/सामान्य डायरी संख्या	
दिनांक	
पुलिस थाना	

जब्ती विवरण

जब्ती अधिकारी का नाम	
जब्ती की तिथि	
जब्ती का स्थान	
न्यायालय के समक्ष केस संपत्ति को प्रस्तुत करने की तिथि	
उस अधिकारी का नाम, जिसने संपत्ति को न्यायालय में पेश किया है	

जब्त वस्तुओं की तालिका

क्रम संख्या	जब्त की गई वस्तुओं का विवरण	प्रकार/श्रेणी	मात्रा	पैकिंग का ढंग	मोहरों की संख्या और विवरण, यदि कोई हो	जब्त की गई वस्तुओं या पैकिंग, की पहचान के अन्य कोई विवरण	टिप्पणी (यदि संपत्ति शीघ्र और प्राकृतिक क्षय के अध्यधीन है, तो इसका उल्लेख किया जाए)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

पुलिस अधिकारी का नाम, पद व हस्ताक्षर

मजिस्ट्रेट का नाम, पद व हस्ताक्षर

डा0 सुमिता मिश्रा,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

HOME DEPARTMENT

Notification

The 23rd January, 2025

No. 16/10/2024-3HC.— In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 48, sub-section (1) of section 173, sub-section (1) of section 174, sub-section (2) of section 176, sub-section (3) of section 193 and sub-section (2) of section 497 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Central Act 46 of 2023), the Governor of Haryana, hereby makes the following rules, namely: -

Short title and commencement	**1.** (1) These rules may be called as The Haryana Form and Manner of Information Rules, 2025. (2) These rules shall come into force from the date of publication of notification in the Official Gazette
Definitions	**2.** (1) In these rules, unless the context otherwise requires, (a) "**Form**" means form appended to these rules; (b) **"general-diary"** means the diary maintained in physical or electronic form under rule 22.48 of Punjab Police Rules, 1934 as applicable to the State of Haryana. (c) "**NCRB"** means the National Crime Record Bureau, Ministry of Home Affairs, Government of India. (d) **"Sanhita"** means the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023(Central Act 46 of 2023); (2) The words and expressions not defined in these rules but defined in the Sanhita or Punjab Police Rules, 1934 as applicable to the State of Haryana or the guidelines of National Crime Record Bureau, shall have the same meaning as assigned to them in the Sanhita or Punjab Police Rules, 1934 as applicable to the State of Haryana or the guidelines of National Crime Record Bureau.
Duties of police officer making arrest regarding Information of arrested person - section 48 (3)	**3.** After arresting any person, an entry of the fact as to who has been informed of the arrest of person arrested, shall be made forthwith by the police officer concerned, in a book or in the general diary to be kept in the Police Station, in such form containing the following information, namely: - (a) FIR number, date of registration and name of Police Station in which the FIR is registered; (b) Name and designation of the officer or other person making arrest; (c) Place, date and time of arrest; (d) Name, parentage and address (present and permanent address) of arrested person; (e) Name, parentage and address of the person to whom information of arrest was given; (f) Contact number, e-mail or any other identifying particulars etc. of the person to whom information of arrest was given; (g) Relation with the arrested person i.e. relative, friend or any other person disclosed or nominated by the arrested person; and (h) Mode through which information of arrest was given to relative, friend or any other person mentioned above.
Information in cognizable cases - section 173 (1)	**4.** The substance of every information relating to the commission of a cognizable offence received under sub-section (1) of section 173 of the Sanhita shall be reduced into writing, by an officer in charge of the Police Station, in general diary in the format prescribed by the NCRB from time to time and in the First Information Report Register under rule 24.5 of the Punjab Police Rules, 1934 as applicable to the State of Haryana, reflecting manner of the receipt of the information whether received orally or by electronic communication.
Information in non-cognizable cases - section 174 (1)	**5.** The substance of every information relating to the commission of a non-cognizable offence received under sub-section (1) of 174 of the Sanhita by officer in charge of the Police Station, shall be entered or cause to be entered by such officer in the general-diary maintained in the Police Station in the format prescribed by the NCRB.

Manner of giving intimation to the informant if there is no sufficient ground for entering into investigation-section 176 (2)	**6.** If it appears to the officer in charge of a Police Station that there is no sufficient ground for entering into investigation under clause (b) of the first proviso to sub-section (1) of section 176 of the Sanhita, he shall forthwith notify to the informant under sub-section (2) of section 176 of the Sanhita, along with reasons in writing either physically or through electronic communication.
Report of police officer on completion of investigation - section 193 (3)	**7.** The Police Report under clause (i) of sub-section (3) of section 193 or under sub-section (9) of section 193 of the Sanhita shall be forwarded including through electronic communication by the officer in charge of the Police Station to the Magistrate empowered to take cognizance of the offence on the police report, in the Form/Report as prescribed by NCRB, stating therein the particulars mentioned in clause (i) of sub-section (3) of section 193 of the Sanhita.
Manner of communication of the action taken to the informant - section 193 (3)	**8.** The Officer in charge of the Police Station shall communicate in writing, including through electronic communication under clause (iii) of sub-section (3) of section 193 of the Sanhita about the action taken by him to the person, if any, by whom the information relating to the commission of the offence was first given. Supplying a copy of the Police Report(s) forwarded under sub-section (3) and (9) of section 193 of the Sanhita, to such person shall be sufficient for this purpose.
Preparation of statement of property-section 497 (2)	**9.** The description of property as mentioned in sub-sections (1) and (2) of section 497 of the Sanhita, shall be prepared in the form appended with these rules

FORM

(See Rule 9)

In the court of……………………….

STATEMENT OF PROPERTY

FIR No/GD No.	
Date	
Police Station	

Seizure Details

Name of Seizing officer	
Date of seizure	
Place of seizure	
Date of production of case property before court	
Name of the officer who produced the property in the Court	

TABLE OF SEIZED ITEMS

Sr. No.	Description of the items seized	Type/ Category	Quantity	Mode of packing	Number and description of seal(s), if any	Other identifying Particulars of seized items or packing	Remarks (if the property is subject to speedy and natural decay, the same may be mentioned)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Signature, name and designation of police officer

Signature, name and designation of the Magistrate

DR. SUMITA MISRA,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Home Department.

11594—C.S.—H.G.P., Pkl.